न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी– शिव चरण मीना
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
34 / 2015 / प्रा.पत्र / 2015	01.04.2015	10.04.2023

सत्यनारायण गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

.....आवेदक

बनाम

1–विक्रेता श्री नसीम अहमद पुत्र श्री अब्दुल हफीज जाति मुसलमान निवासी मोहल्ल सोरगना महबूब ड्राईवर की गली टोंक जिला टोंक मैसर्स स्टार किराना मर्चेन्ट काफला बाजार टोंक
2–मैसर्स स्टार किराना मर्चेन्ट काफला बाजार टोंक
3–श्री सूरज मल जैन पुत्र श्री नाथू लाल जैन प्रोपराईटर मैसर्स नाथू लाल सूरज मल जैन बडा कुंआ टोंक जिला टोंक
4–मैसर्स नाथू लाल सूरज मल जैन बडा कुंआ टोंक जिला टोंक
5–श्री नेरीमल्लामथ शिव कुमार पुत्र श्री चन्नामाल्लया प्रोडेक्शन मैनेजर एवं नॉमिनी मैसर्स साबू साडियम क्लोरो लिमिटेड नावा सिटी, नागौर निवासी ग्राम गोकक, जिला बेलगाम कर्नाटका
6–मैसर्स साबू साडियम क्लोरो लिमिटेड नावा सिटी, नागौर राज.

.....अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 51

उपस्थित–

1–पेरोकार सरकार।
2–निर्माता फर्म के प्रतिनिधि उप.।

:–निर्णय–: **दिनांक 10.04.2023**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 28.08.2013 को समय 03:30 पी.एम पर मैसर्स स्टार किराना मर्चेन्ट काफला बाजार टोंक पर पहुँचा। वहाँ पर श्री नसीम अहमद पुत्र श्री अब्दुल हफीज मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री नसीम अहमद ने स्वयं को प्रतिष्ठान का मालिक होना।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि प्रतिष्ठान में आम जनता को विक्रय करने हेतु अन्य खाद्य पदार्थ के साथ **आयोडाईज्ड नमक (सूर्या ब्राण्ड)** के 1–1 किलोग्राम के 25 पैकट रखे हुए थे, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा हुआ तो श्री नसीम अहमद को फार्म न. 5ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर विक्रेता को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर मय मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर बताकर कि यह **आयोडाईज्ड नमक (सूर्या**

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

ब्राण्ड) वास्ते मानक स्तर की जॉच करवाने हेतु क्रय किया जा रहा है, 1–1 किलोग्राम के 4 पैक खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **आयोडाईज्ड नमक (सूर्या ब्राण्ड)** को ज्यों का त्यों मूल अवस्था में चार प्लास्टिक की खाली, साफ, सूखे डिब्बों में एक–एक रखकर ढक्कन से एयरटाईट बन्द किया एवं नियामनुसार चार भाग तैयार किए एवं चारों नमूना भागो के लिये चार लेबल नियमानुसार तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गये खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–549 एवं पूर्ण विवरण अंकित किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर मय मोहर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के नियमानुसार हस्ताक्षर कराये तथा प्रत्येक नमूना भाग पर लेबलों को गोद से चिपकाया व चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–549 नियमानुसार चारों नमूना भाग पर नीचे से ऊपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारो नमूना भाग नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया एवं मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर पुनः सील चपडी कर नियमानुसार तैयार किया एवं एक नमूना खाद्य विश्लेषक एवं जन विश्लेषक अजमेर को भेजा एवं नमूना जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक द्वारा नमूना क्रय करते समय विक्रेता श्री नसीम अहमद पुत्र श्री अब्दुल हफीज ने मौके पर बतौर वारन्टी मैसर्स नाथू लाल सूरज मल जैन बडा कुंआ टोंक जिला टोंक का वारन्टी बिल पेश किया जिसे आवेदक द्वारा पत्र लिखा जाने पर उक्त फर्म के व्यवहारी ने मैसर्स साबू साडियम क्लोरो लिमिटेड नावा सिटी, नागौर राज. का बिल पेश कर इसे उक्त खाद्य पदार्थ का निर्माता होना बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./13/3133 दिनांक 24.09.2013 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एल.एस./415/एफएसएसए/2013/420 दिनांक 10.09.2013 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जॉच करवाने हेतु क्रय किया गया **आयोडाईज्ड नमक (सूर्या ब्राण्ड)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम व विनियम 2011 की धारा 3(1)(zf)(C)(i) के अनुसार **अवमनाक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेताओं के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से निर्माता फर्म के प्रतिनिधि श्री देवेन्द्र शर्मा उपस्थित हुए एवं बहस की एवं अपनी बहस में अप्रार्थीगण की ओर से जुर्म स्वीकार करते हुए न्यूनतम शास्ति आरोपित करने का निवेदन किया। पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **आयोडाईज्ड नमक**

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

(सूर्या ब्राण्ड) विक्रय कर रहे थे वह जांच में **अवमनाक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अप्रार्थीगण के प्रतिनिधि एवं पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **आयोडाईज्ड नमक (सूर्या ब्राण्ड)** का नमूना जांच में **अवमनाक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थीगण पर कुल शास्ति रूपये 10,000/–(अक्षरे दस हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 10.04.2023 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10.04.2023 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

([illegible])
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0